मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

(निस्तारित) भोपाल दिनांक 08/02/2021

क्रमांक–एफ–3–30/2021/18–5, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक–3655/वि.यो. 496/नग्रानि/2020, भोपाल दिनांक 29/09/2018 द्वारा प्रकाशित नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:–

1 आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म0प्र0 ।
2 कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर म0प्र0 ।
3 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर म0प्र0।
4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरसिंहपुर म0प्र0।

अनुसूची

क्रं.	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	**अध्याय–4** **4.11 :– मध्यवर्ती क्षेत्र** नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :– (अ) उत्तर–चांडक चौक से नई बस्ती तक। (ब) पूरब– खिरहनी फाटक से रेलवे स्टेशन। (स) दक्षिण–रेलवे कालोनी से मिशन चौक तक। (द)पश्चिम– चांडक चौक से मिशन चौक तक।	**अध्याय–4** **4.11 :– मध्यवर्ती क्षेत्र** नरसिंहपुर नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :– (अ)उत्तर–पूर्व–मुशरान पार्क से होते हुये इतवारा बाजार डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक। (ब)उत्तर–पश्चिम–नरसिंह तालाब के समानांतर लालमहल एम एल बी कालेज एवं डिग्री कॉलेज की उत्तरी सीमा तक। (स)दक्षिण–पूर्व– कंदेरी मुख्य मार्ग होते हुये सिंगरी नदी की सीमा तक। (द)दक्षिण–पश्चिम–सिंहपुर तिराहा से मार्ग के समानांतर सींगरी नदी की दक्षिणी सीमा तक।
2	**अध्याय–6** सारणी 6–सा–14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 सारणी 6–सा–14 के क्रमांक 7 कॉलम 4	अध्याय–6 सारणी 6–सा–14 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में रेस्टोरेंट एवं खेल का मैदान के पश्चात् अंतः स्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी * , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** सारणी 6–सा–14 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में शैक्षणिक संस्थाएं के पश्चात् अंतः स्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी* , गैर प्रदूषणकारी उद्योग** , कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

	व्याख्या– i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाये । ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग। iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम–17(क) में वर्णित अनुसार। **टीपः–** उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।	
3	6.18 :– वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन स– गंजक्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे।	6.18 :– वर्तमान विकसित क्षेत्रों हेतु विकास नियमन स– स्टेशन गंज क्षेत्र में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक विकास, परिवर्तन अथवा पुर्ननिर्माण मध्यवर्ती क्षेत्र के लिये निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नियंत्रित होंगे।

विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ० शुमाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग